


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अह हुक्म क में जारी
----------------	------------------------------------	---------------------------

26.6.18

पत्रावली CPC की धारा 89 के तहत लोक अदालत बंच को स्थानान्तरित की जाती है। पत्रावली दिनांक 26.6.18 को स्थान पर दिनांक 9.8.18 को राज्य लोक अदालत बंच स्थान बिसा रीठिया समक्ष प्रस्तुत हों, तदनुसार सभी पक्षकारान सूचित हों।
 सहायक कलेक्टर (SDO) चौहान, मुवा


 26/06/2018

26-6-18

पत्रावली काज वकील वादिनी के अर्थात् पत्रावली राज्य लोक अदालत न्याय कोर्ट के द्वार 2018 के कैम्प बिसा रीठिया में फिर्दा हुई। वकील वादिनी के अर्थात् पत्रावली में निवेदन किया कि वादिनी एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति एवं मैत्रिम लोगों द्वारा शाजीनामा बना दिया गया है। इस कारण इस वाद में अज्ञान कार्य नहीं होने स्वर पर समाप्त की जाती वकील वादिनी का अर्थात् पत्रावली कोर्ट इस वाद में अज्ञान कार्य नहीं करिये शाजीनामा इसी स्वर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली कोर्ट सुधार कोर्ट दायित्व समर हो।

सहायक कलेक्टर चौहान